संख्या-1352/1-10-2016-14(23)/2004

प्रेषक,

आरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ :: दिनांक :: 29 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए मोटरबोटों/अग्निशमन उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की पत्रावली संख्या-1100(8)/2013 द्वारा मोटरबोटों/अग्निशमन उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से (रू0 53,976 + रू0 2,40,58,797) कुल रू0 2,41,12,773/- की धनराशि की स्वीकृति किये जाने की मांग की गयी है । अतः उक्त प्रयोजन हेतु मांग की गयी कुल धनराशि रू0 2,41,12,773/- (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख बारह हजार सात सौ तिहत्तर मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

Scanned by CamScanner

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 1352(1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner